न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 82/2013/डिक्री

1. ऊंकार पिता सोराम गाडरी
2. मांगीलाल पिता सोराम गाडरी
3. हरिकिशन पिता सोराम गाडरी
4. मु0 देऊ पिता सोराम गाडरी पत्नि प्यारा गाडरी
5. हुडी पिता सोराम पत्नि हेमराज गाडरी

सभी निवासी घाटी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. रूपा पिता भूरा गाडरी
2. रामा मुतबन्ना लाला गाडरी

दोनो निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

3. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 08.05.2013 प्रकरण सं. 5/2012

उपस्थित – 1. श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री बंसतीलाल पोखरना – रेस्पोडेन्ट – 1 व 2

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 रराजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया उसमे यह उल्लेखित किया कि वाके मौजा घाटी पटवार हल्का पोटला कंला की आराजी नम्बर 4/1, 7,8,9, 10/1, 10/2, 11,13,14,15,16,17,19,24 कुल किता 15 रकबा 51 बीघा 5 बिस्वा कुल लगानी 85 रू. 44 पैसे होकर वादी एवं प्रतिवादीगण भी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे की है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा है। मौके पर विभाजन किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण विभाजन नही कर रहे है इसलिये इसका बंटवाडा कराया जावे। यह भूमि पूर्व मे हीरा वल्द हीरा, सोराम वल्द नन्दा गाडरी के शामलाती खातेदारी मे थी, और बाद मे भूरा वल्द हीरा, रामा मुतबन्ना लाला के नाम पर गलत रूप से दर्ज हो गयी, और इसी

का उन्होने गलत दावा पेश कर दिया। अपीलान्ट को उसकी तामील हुई परन्तु अपीलान्ट न्यायालय मे पहूॅचा तब पीठासीन अधिकारी नही थे, और बाद मे लगतार पीठासीन अधिकारी नही मिले। दिनांक 24/03/2013 को अपीलान्ट ने वहां जाकर नकल की दरखास्त पेश की तो वहा के सिगेदार ने दिनांक 19/06/2013 को पेशी होना बतायी गयी और 12/04/2013 के बाद मे कोई आदेशिका दिनांक 25/04/2013 तक नही मिली गयी बाद मे अपीलान्ट को यह जानकारी हुयी कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने गलत तरीके से एक पक्षीय निर्णय पारित कर यह दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे सेटलमेन्ट मे राजस्व अभिलेख मे भूरा पिता हीरा व सोराम पिता नन्दा का शामलाती खाता था, और रामा भूरा का लडका है इस प्रकार बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के रूपा ने राजस्व अभिलेख मे दर्ज कराकर यह गलत दावा पेश कर दिया है और जो निर्णय दिया वह निरस्त योग्य है। कब्जे की कोई शहादत पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्राथमिक डिक्री कर अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय मे कोई घोषणा का दावा पेश नही हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नम्बर 4/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित कर दिया। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे एवं अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण को रिमाण्ड की जावे। दिनांक 31/05/2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 भी पेश किया गया है।

3. दौराने बहस वकील वादी ने बयान किया कि दिनांक 27/01/2012 को सम्मन विधिवत तामील हुए उसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी का पद रिक्त रहा जिसके फलस्वरूप दिनांक 03/05/2012 को दुबारा तलब करने का आदेश पत्रावली पर हुआ परन्तु कोई सम्मन जारी नही हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 29/08/2012 को पूर्व मे तामील हुए सम्मन के आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर दी गई तथा पत्रावली वादी के शहादत मे चली गई। बतौर शहादत केवल वादी का शपथ पत्र दिनांक 05/09/2012 को लिया गया तथा साक्ष्य के बतौर श्री रूपलाल का शपथ पत्र लिया गया जो अपूर्ण है। दोनो दस्तावेज को पत्रावली पर लिये जाने का आदेश ऑर्डरशीट पर उल्लेखित नही है। दिनांक 08/05/2013 को एक ही दिन मे एक तरफा कार्यवाही करते हुए उसी दिन बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया।

दिनांक 06/05/2013 को ऊंकार की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व वकालत नामा प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है परन्तु न तो उसे मार्क किया गया तथा न ही निर्णित किया गया। यदि उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेकर सुनवाई की जाती तो दिनांक 08/05/2013 को निर्णय नही हो पाता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आधी–अधूरी कार्यवाही की गई है जो न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त वाद धारा 53 एवं 188 राटिएक्ट के तहत विचाराधीन था। बंटवाडा हिस्से के मुताबित किया गया जिससे प्रतिवादी/अपीलान्ट को किसी प्रकार की क्षति नही हुई है। जब एक बार न्यायालय का सम्मन तामील हो जाता है तो ऐसी सूरत मे बार–बार सम्मन देने की आवश्यकता नही है। पुराने सम्मन के आधार पर एक तरफा कार्यवाही अंकित करना एक तकनीकी भूल है। कोई **substantial injustice** नही है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने मे विधिसम्मत प्रक्रिया नही अपनाई गई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 5/2012 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08/05/2013 अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः नियमानुसार सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़